

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (मत्स्य)
अधिसूचना

संख्या-म०/स्था०अ०रा०(अ०) 01/2015(खण्ड-II) - ५० /मत्स्य, पटना, दिनांक - 16/01/2024

भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा "बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) सेवा भर्ती नियमावली, 2007" (समय-समय पर यथासंशोधित) का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ - (1) यह नियमावली "बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) सेवा भर्ती (संशोधन) नियमावली, 2023" कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. "बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) सेवा भर्ती नियमावली, 2007" (समय-समय पर यथासंशोधित) में नियम-6(3) जोड़ा जाना - उक्त नियमावली के नियम-6(2) के बाद नियम-6(3) निम्नवत् जोड़ा जाता है :-

"6.(3) इस सेवा के मूल कोटि के पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति के क्रम में समान पद पर संविदा के आधार पर की गयी सेवा के लिए अंक की अधिमानता तथा अधिकतम उम्र सीमा में छूट निम्नवत् दी जायेगी :-

(i) बिहार सरकार अथवा बिहार राज्य के अन्दर अवस्थित गैर-निजी संस्थान (केन्द्र सरकार, पंचायत, नगर निकाय आदि) में संविदा के आधार पर समान पद पर किये गये संतोषजनक कार्य अवधि के लिए अधिकतम 25 अंक की अधिमान्यता निम्नवत् दी जायेगी :-

(क) चयन प्रक्रिया में प्राप्त अंकों की अधिमान्यता - 75 अंक

(ख) संविदा के आधार पर समान पद पर - 25 अंक

किये गये कार्य अवधि की अधिमानता

(प्रत्येक वर्ष 5 अंक के हिसाब से अधिकतम 25 अंक एवं

वर्ष के अंश के लिए अनुपातिक अंक अनुमान्य होगा)

(ii) बिहार सरकार अथवा बिहार राज्य के अंदर अवस्थित गैर-निजी संस्थान (केन्द्र सरकार, पंचायत, नगर निकाय आदि) में संविदा के आधार पर समान पद पर किये गये संतोषजनक कार्य अवधि के मतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जायेगी।

(iii) संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का विनिश्चय संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा भुगतान के आधार पर निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण-पत्र के अनुसार किया जायेगा। इस हेतु आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि को इसकी गणना की जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

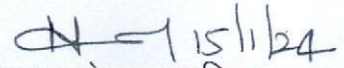
CH-15/11/24
 (डॉ० एन० विजयलक्ष्मी)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक - म०/स्था०अ०रा०(अ०) 01/2015(खण्ड-II) - ५० / पटना-15, दिनांक - 16/01/2024

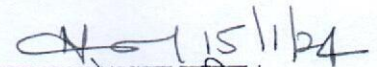
प्रतिलिपि - प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि राजपत्र (गजट) की 100 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


सरकार के प्रधान सचिव।

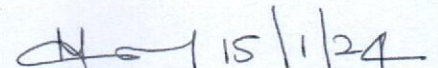
ज्ञापांक - म०/स्था०अ०रा०(अ०) 01/2015(खण्ड-II) - ५० / पटना-15, दिनांक - 16/01/2024

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के प्रधान सचिव।

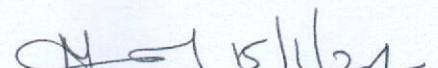
ज्ञापांक - म०/स्था०अ०रा०(अ०) 01/2015(खण्ड-II) - ५० / पटना-15, दिनांक - 16/01/2024

प्रतिलिपि - प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के प्रधान सचिव।

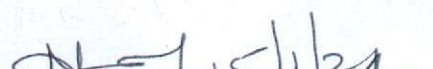
ज्ञापांक - म०/स्था०अ०रा०(अ०) 01/2015(खण्ड-II) - ५० / पटना-15, दिनांक - 16/01/2024

प्रतिलिपि - संयुक्त मत्स्य निदेशक (प्रशिक्षण एवं प्रसार केन्द्र/अनुसंधान), मीठापुर, पटना/सभी उप मत्स्य निदेशक (परिक्षेत्र)/सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक - म०/स्था०अ०रा०(अ०) 01/2015(खण्ड-II) - ५० / पटना-15, दिनांक - 16/01/2024

प्रतिलिपि - प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव/विशेष सचिव के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं विभागीय आई०टी० प्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के प्रधान सचिव।